

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डूडियों की ढाणी
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

जवाराराम पुत्र मोतीराम जाति सुथार
निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला
तला, तहसील एवं जिला बाड़मेर।

1. गंगासिंह पुत्र मोटा 2. जालमसिंह पुत्र
मोटा 3. जुजारसिंह पुत्र मोटा 4.
ईश्वरसिंह पुत्र अणदसिंह 5. भोमसिंह
पुत्र अणदसिंह 6. गुला पुत्र पुनमसिंह 7.
हुकमा पुत्र पुनमसिंह 8. मेघा पुत्र
पुनमसिंह 9. भंवरा पुत्र पुनमसिंह 10.
सांवतसिंह पुत्र रूपसिंह 11. भंवरसिंह
पुत्र गुमानसिंह 12. भगसिंह पुत्र
लक्ष्मणसिंह 13. आईदानसिंह पुत्र
विरघसिंह 14. विरघसिंह पुत्र बागसिंह
15. उम्मेदसिंह पुत्र बागसिंह 16.
पहाड़सिंह पुत्र चिमनसिंह 17. अजीतसिंह
पुत्र धनसिंह 18. करणसिंह पुत्र वीरसिंह
19. सवाईसिंह पुत्र आम्बसिंह 20.
मोतीसिंह पुत्र प्रभुसिंह जातियान रावणा
राजपूत निवासीयान डूडियों की ढाणी,
बेरीवाला तला, तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-877/2018 दिनांक-30.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डूडियों की ढाणी, पटवार मण्डल बेरीवाला तला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1632/1449 रकबा 14.11 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 30/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6473-6476

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जवाराराम पुत्र मोतीराम जाति सुथार निवासी डूडियों की ढाणी, बेरीवाला तला, तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी गंगासिंह पुत्र मोटा वगैरा जाति रावणा राजपूत निवासी डूडियों की ढाणी बेरीवाला तला, तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर